छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 122/2006

श्री सहदेव तांडी, ... अपीलार्थी
बजरंग मंदिर, गली नं. 2,
शक्ति नगर, रायपुर

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(13 जुलाई 2006)

श्री सहदेव तांडी रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, लोक निर्माण विभाग के समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण निर्धारित अवधि के अंतर्गत न होने के फलस्वरूप आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी सहदेव तांडी ने जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी आवेदन पत्र दिनांक 9–12–2005 से मांगी थी। चूंकि उक्त जानकारी शासन से संबंधित थी, अतः जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता कार्यालय के द्वारा श्री तांडी का आवेदन पत्र जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया। जानकारी समय पर न दिये जाने के कारण आवेदक के द्वारा अपीलीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, लोक निर्माण विभाग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर अपील प्रकरण का निराकरण न किये जाने के कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का यह तर्क है कि जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता,

लोक निर्माण विभाग के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के 24 दिन बाद जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय को आवेदन पत्र हस्तांतरित किया गया, जबकि यह 05 दिन के अंदर करना था। इसके पश्चात् भी उसे सूचना प्राप्त नहीं हुई तब उसने प्रथम अपील की। प्रथम अपील का निर्णय भी समय पर नहीं किया गया। अतः जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के द्वारा बतलाया गया कि विलम्ब के कारण आवेदक को निःशुल्क सूचना दे दी है। विलम्ब के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक को मांगी गई जानकारी विलम्ब से दी गई है तथा अपील का निराकरण भी निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के जन सूचना अधिकारी से मांगी थी, जबकि चाही गई जानकारी शासन से संबंधित है, अतः आवेदक को जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय को विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था।

चूंकि आवेदक को जानकारी प्रदान कर दी गई है तथा आवेदक ने प्रदत्त जानकारी के अपूर्ण होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि जन सूचना अधिकारी ने दुर्भावनावश समय पर जानकारी नहीं दी है। अतः जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सचेत किया जाता है कि वे भविष्य में निर्धारित अवधि में अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण करें। अपीलार्थी की अपील इस निर्देश सहित अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त